

#### एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

## फॉर्म बी

### प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियमों के विनियम 70(iii) के अनुसार) (शेयरधारकों द्वारा भरे जाने व हस्ताक्षर करने के लिए)

	(शयरधारका द्वारा १	मर जान व हस्ताक्षर करन क ।लए)	
पंजीकृत फोलियो क्र.		डीपी आईडी क्र.	
		ग्राहक आईडी क्र.	
यदि बेकागजीकृत नहीं हैं		यदि बेकागजीकृत हैं	
मैं/हम	निवासी	जिला	राज
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधार	क होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती	निवास
	जिला	राज्य	को अथवा इनके न हो
		जिला	
. 9	ं आयोजित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हितधारको ोट करने हेतु मेरे/ हमारे प्रॉक्सी के रूप में नि	ों की असाधारण सामान्य बैठक और इसके स् युक्त करता हूं/करती हूं.	थिंगत होने पर होनेवाली बैठक में मेरे/ हमा
वार, दिनांक	2019 को हस्ताक्षरित		
नाम :			
पता :		_	कृपया ₹1/- का राजस्व टिकिट चिपकाएं
			नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर
क) वैयक्तिक शेयरध् ख) संयुक्त धारकों वे ग) निगमित निकाय प्रॉक्सी की नियुं	तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि - भारक के मामले में इस पर उसके द्वारा या लिं के मामले में रजिस्टर में पहले नाम वाले शेयरा के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में क्ति के लिए अधिकार/ एक समुचित प्राधिकृत	रने व उसे प्रस्तुत करने संबंधी अ खित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्ष धारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उ में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ता त प्रतिनिधि के रूप में उसके नियुक्ति के संकल	ु र न किए गए हों। सके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों। क्षर न किए गए हों। यह नोट किया जाए वि
<ol> <li>प्रॉक्सी लिखत शेयरधार पर उसके अंगूठे का नि</li> </ol>	के रूप में प्रमाणित किया जाना है, संलग्न की क द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना च नंशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाण बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा	ाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण गन किसी न्यायाधीश, मॅजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के	से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उ रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रि
<ol> <li>प्रॉक्सी फॉर्म के साथ</li> <li>क. मुख्तारनामा या</li> <li>ख. किसी नोटरी पर्ग असाधारण साम</li> </ol>	अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) के अध ब्लेक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मु ान्य बैठक के दिनांक से कम से कम <b>चार 1</b>	गीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या	<b>2019 को कार्य-समाप्ति घंटे शाम 5.0</b> ाल" 1501 शिवाजीनगर पणे - 411.00

के पास जमा हो जाना चाहिए।

बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी.

नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.

कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो.

यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में विकल्पस्वरूप दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता.

एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की पात्रता नहीं होगी, जिससे वह लिखत संबंधित है ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो.



#### एक परिवार एक बैंक

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

# Form B PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations) (To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd .Folio No.			DP ID No.				
			Client ID No.				
If not Dematerialised			If Dematerialise	If Dematerialised			
I/We,	re:	sident(s) of		in th	ne district of	in	
the State of			being a sharehold	der/s of Bank	of Maharashtra, her	eby appoint	
Shri / Smt		resident of _		in the dis	trict of	in the	
State of			OR failing him/her,	Shri/Smt			
resident of	in the distric	t of	in the State of		as my / our p	roxy to vote	
Signed thisName							
Address					Please affix Re 1 Revenue Stamp		
Signature of Pro		VIS					

#### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
  - a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - c. In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- The Proxy together with
- a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the Company Secretary, Investor Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours at 05.00 p.m. on Wednesday, 20th March, 2019.
- 4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- 9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.